न्यायालयः द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्षः मोहम्मद अज़हर)

<u>सत्र प्रकरण क.-291 / 16</u> संस्थित दिनांक 05.10.16

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र गोहद, तहसील गोहद जिला–भिण्ड (म.प्र.)अभियोगी 2. हरनारायण शर्मा पुत्र मांगीलाल शर्मा आयु 71 वर्ष निवासी ग्राम भगवासा परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

<u>.....परिवादी</u>

<u>बनाम</u>

- शत्रुघन सिंह पुत्र राजाराम आयु 45 वर्ष
- श्याम सुन्दर उर्फ सुन्दरदास पुत्र राजाराम आयु 55 वर्ष
- बृजमोहन पुत्र राजाराम आयु 40 वर्ष
- ATTACHE TO PERCOND 1. 2. धीरेन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर आयु 30 वर्ष
 - राजाराम पुत्र मांगीराम आयु 76 वर्ष 5.
 - हरिशंकर पुत्र किशोरी आयु 43 वर्ष 6. समस्त जाति ब्राह्म्ण धांधा खेती निवासीगण ग्राम भगवासा तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

ૣअभियुक्तगण

(न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (श्री पंकज शर्मा) के न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 749 / 10 एवं प्रकरण क. 391 / 13 / गोहद / भिण्ड में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 29.0916 से उत्पन्न सत्र प्रकरण)

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक। अभियुक्त हरिशंकर द्वारा श्री के.के. शुक्ला अधिवक्ता। शेष अभियुक्तगण द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता।

<u>//निर्णय//</u>

(आज दिनांक 26/03/18 को घोषित)

अभियुक्त हरिशंकर के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–147, 294, 336, 1. 326 / 149, 325 / 149, 323 / 149, 506 भाग-02 के तहत के तहत तथा शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं०सं० की धारा—326 सहपठित 149 एवं 336 के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 07.08.2010 के शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम भगवासा के हार सड़क के किनारे अंतर्गत थाना गोहद में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव कर उक्त जमाव के फिरयादी हरनारायण शर्मा की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित करने के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, लोकस्थान पर हरनारायण को मां बिहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया, बंदूक से हवाई फायर कर हरनारायण एवं अन्य का मानव जीवन संकटापन्न किया, आकामक अथवा धारदार हथियार कुल्हाडी से फिरयादी हरनारायण को स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की एवं हरनारायण की लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की, हरनारायण की मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की, हरनारायण की मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की एवं हरनारायण की मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की एवं हरनारायण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि इस घटना के संबंध में फरियादी के पुत्र अशोक शर्मा के द्वारा रिपोर्ट प्र0पी0—06 लिखाए जाने पर अभियुक्तगण सुंदरदास, राजाराम, शत्रुघन बृजमोहन एवं अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 169/10 अंतर्गत धारा—341, 294, 323,506बी, 336, 324 एवं 34 भाठदंठसंठ के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमें बाद अनुसंधान धारा—325 भाठदंठसंठ का इजाफा करते हुए उपरोक्त चारों अभियुक्तगण के साथ अभियुक्त धीरेन्द्र शर्मा के विरुद्ध भी अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। परंतु इसी घटना के संबंध में फरियादी हरनारायण के द्वारा दिनांक 18.11.2010 को धारा—326, 323, 294, 336 एवं 506बी भाठदंठसंठ के तहत परिवाद प्र0पी0—01 प्रस्तुत किया गया, जिसमें जांच उपरांत दिनांक 27.04.2016 को अभियुक्तगण शत्रुघन सिंह, श्यामसुंदर उर्फ सुंदरदास, बृजमोहन, धीरेन्द्र एवं राजाराम के साथ—साथ अभियुक्त हरिशंकर के विरुद्ध धारा—294, 323, 324, 325, 326, 336 एवं 506 भाग 2 भाठदंठसंठ के तहत संज्ञान लेते हुए हरिशंकर के विरुद्ध आदेशिका जारी की गई। हरिशंकर की उपस्थित के पश्चात प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हआ।
- 3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 07.08.2010 को शाम 04:30 बजे के लगभग अभियोगी हरनारायण अपने खेत स्थित ग्राम भगवासा को देखने गया तो उसके

खेत को अभियुक्तगण शत्रुघन सिंह, श्याम सुंदर, बृजमोहन, धीरेन्द्र, राजाराम, गोरी शंकर व हरिशंकर जबरन जोत रहे थे। परिवादी ने खेत जोतने से मना किया तो शत्रुघन ने मां की अश्लील गाली देते हुए कहा कि खेत जोतने से रोका तो जान से खत्म कर देंगे। परिवादी द्वारा पुनः विरोध किया गया तो श्यारसुंदर दास ने परिवादी के सिर में जान से मारने की नियत से कुल्हाडी धारदार तरफ से मारी जिसका बचाव परिवादी ने हाथ से किया तो कुल्हाडी परिवादी के बांए हाथ में लगी, चोट होकर खून निकल आया। तभी शत्रुघन ने लोहांगी लाठी जान से मारने की नियत से मारी जो बाईं भुजा में लगी और चोट आई। उसके बाद बृजमोहन राजाराम व धीरेन्द्र ने परिवादी की लाठियों से मारपीट की, जिससे परिवादी की कमर पसलियों व सिर में कई जगह चोटें आईं। परिवादी के चिल्लाने पर उसका लड़का अशोक शर्मा तथा उमेश शर्मा तथा गांव के परिमाल शर्मा आ गए, जिन्होंने बीच बचाव कराया। तभी हरिशंकर ने फायर किया और बोला कि आज तो बच गया अगर पुलिस में रिपोर्ट की या नेतागीरी की तो जान से खत्म कर देंगे। ६ ाटना की रिपोर्ट परिवादी के पुत्र अशोक ने परिवादी के साथ जाकर थाना गोहद पर की। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में की गई रिपोर्ट प्र0पी0-06 है। आहत हरनारायण को मेडीकल हेत् सी.एच.सी. गोहद भेजा गया, जहां उसका मेडीकल परीक्षण हुआ जो प्र0पी0-15 है, बाद में उसे ग्वालियर के लिए रैफर किया गया, जहां उसका जे.ए. अस्पताल में इलाज हुआ, उसके बांए हाथ की रेडियस एवं अलना हड्डी में फ्रेक्चर होना पाया गया। वह दिनांक 08.08.10 से 01.09.10 तक जे.ए. अस्पताल में भर्ती रहा तथा उसके बांए हाथ में ऑपरेशन आदि का प्लेंटिंग और नेलिंग की की गई।

- 4. दौराने अनुसंधान पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में दिनांक 08.08.2010 को घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0—02 बनाया गया। उसी दिनांक को फरियादी के पुत्र उमेश का प्र0पी0—11 का दूसरे पुत्र अशोक शर्मा का प्र0पी0—09 का तथा दिनांक 10.08.10 को साक्षी परमाल का प्र0पी0—13 का एवं फरियादी हरनारायण का प्र0पी0—03 का पुलिस कथन लिया गया। दिनांक 10.08.10 को राजाराम, धीरेन्द्र, शत्रुघन शर्मा, बृजमोहन शर्मा, श्यामसुंदर दास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे प्र0पी0—16 लगायत 20 बनाए गए।
- 5. अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण के द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया

गया और विचारण की मांग की। अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूंठा फंसाया गया है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

- 1ण क्या अभियुक्त हरिशंकर ने दिनांक 07.08.2010 के शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम भगवासा के हार सड़क के किनारे अंतर्गत थाना गोहद में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर उक्त जमाव के फरियादी हरनारायण शर्मा की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित करने के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?
- 20 क्या अभियुक्त हरिशंकर ने उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर लोकस्थान पर हरनारायण को मां बहिन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
- उण क्या अभियुक्तगण ने उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर बंदूक से हवाई फायर कर हरनारायण एवं अन्य का मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 4ण क्या अभियुक्तगण ने उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आक्रामक अथवा धारदार हथियार कुल्हाडी से फरियादी हरनारायण को स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की एवं हरिशंकर ने हरनारायण की लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की, हरनारायण की मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की, हरनारायण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 5ण दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा ?

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 04:-

- 6. उपरोक्त चारों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण तथा प्रकरण की साक्ष्य संकलित रूप से आई है, यह देखते हुए, एक साथ निराकृत किए जा रहे हैं तािक तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।
- 7. परिवादी हरनारायण अ०सा०-01 ने यह बताया है कि वह सभी अभियुक्तगण को जानता है। साक्ष्य देने की दिनांक 11.11.2016 से लगभग छः साल पहले अगस्त 2010 को शाम चार बजे वह अपने खेत पर ग्राम भगवासा में गया था, वहां पर अभियुक्तगण

श्यामसुंदर, शत्रुघन, बृजमोहन, धीरेन्द्र, राजाराम व हरिशंकर मिले थे, जिन्होंने कहा कि उक्त खेत को वे जोतेंगे, जिस पर से मुंहवाद हुआ था और हाथापाई, जिससे वह पास में पड़े पत्थर पर गिर गया और उसे चोटें आईं थीं।

- 8. परिवादी के पुत्र अशोक अ०सा०-02 ने भी यह बताया है कि उसके पिता का अभियुक्त श्यामसुंदर, शत्रुघन, बृजमोहन, धीरेन्द्र, राजाराम व हरिशंकर से मुंहवाद हुआ था और हाथापाई हुई थी। उसने यह भी बताया है कि वह अपने दूसरे खेतों पर भैंसें चरा रहा था जहां पर उसे पता चला कि उसके पिता को हाथ पैर व सिर में चोटें आईं है, तब वह मौके पर पहुंचा, उस समय उसके पिताजी बेहोशी की हालत में थे और वह उनको पीठ पर लाद कर घर ले आया तथा महिन्द्र गांडी में पिताजी को रखकर गोहद थाने गया था और उसके पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए घटना की रिपोर्ट प्र०पी०-०६ उसने लिखाई थी, उसने यह भी बताया है कि पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र०पी०-07 बनाया था तथा पुलिस ने उसके पिता को इलाज के लिए अस्पताल गोहद भेजा था, ज्यादा चोटें होने के कारण गोहद अस्पताल से उसके पिता को इलाज के लिए अस्पताल गोहद भेजा था, ज्यादा चोटें होने के कारण गोहद अस्पताल से गया था।
- इसी प्रकार परिवादी के अन्य पुत्र उमेश शर्मा अ०सा0-03 ने भी उपरोक्त प्रकार 9. से ही अभियुक्तगण से उसके पिता हरनारायण का मुंहवाद होना एवं हाथापाई होना बताया है। परिमाल शर्मा अ0सा0-04 ने भी यही तथ्य बताए हैं। इन साक्षियों ने यह बताया है कि अभियुक्तगण का हरनारायण से मुंहवाद हुआ था और हाथापाई हुई थी, हरनारायण अ0सा0-01 ने हरिशंकर के बारे में यह बताया है कि हरिशंकर ने उसे धक्का दिया तथा गिरने से उसे चोट आ गई थी। डाँ० संतोष सोनी अ०सा०-07 एवं आर.के.एस. धाकड अ0सा0-05 से बचाव पक्ष की ओर से पूछे जाने पर उक्त चोटें पत्थर पर गिर जाने से आना संभव होना बताया है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा हरनारायण से झगडा किया जाना मुंहवाद किया जाना और हाथापाई किया जाना और उससे पत्यथर पर गिर जाने से चोट आना धारा-326 या 325 भा0दं0सां० की श्रेणी में आता है। परंतु उपरोक्त चारों साक्षी घटना के प्रमुख साक्षी होकर फरियादी एवं चक्षुदर्शी साक्षी हैं, जिन्होंने ने ऐसा नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने परिवादी हरनारायण की कुल्हाडी एवं लाठी आदि से मारपीट की थी। उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि चोट पहुंचाने के आशय से अभियुक्तगण द्वारा हाथापाई की गई और हरनारायण को धक्का दिया गया। इन चारों साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है।

- अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर हरनारायण अ०सा०-01 ने इस तथ्य से इन्कार किया है कि अभियुक्त श्याम सुंदर ने उसके सिर में कुल्हाडी मारी थी, हरिशंकर ने 315 बोर की माउजर बंदूक चलाई थी। बचाव पक्ष की ओर से पूछे जाने पर प्रतिपरीक्षण में पैरा-05 में यह बताया है कि मुंहवाद व धक्कामुक्की में गिर जाने के कारण उसके हाथ पर सिर में चोटें आईं थीं। इसी प्रकार अशोक अ०सा0-01, उमेश शर्मा अ0सा0-03 एवं परिमाल शर्मा अ0सा0-04 ने अभियोजन की ओर से पूछे जाने पर इन तथ्यों से इन्कार किया है कि अभियुक्त शत्रुघन ने उसके पिता के दांए हाथ में कुल्हाडी मारी तथा अन्य अभियुक्त ने उसके पिता की मारपीट की, जिससे उसके पिता के शरीर में चोटें आईं, अभियुक्त हरिशंकर ने उनको जान से मारने के लिए बंदूक से फायर किया था। अशोक अ०सा0-02, उमेश शर्मा अ०सा0-03 एवं परिमाल शर्मा अ०सा0-03 ने बचाव पक्ष की ओर से पूछे जाने पर यह बताया है कि हरनारायण ने उन्हें यह बताया था कि वह धक्का मुक्की में गिर गया था, जिससे सिर व हाथ में चोटें आईं थीं। उपरोक्तानुसार जो साक्ष्य प्रस्तुत है, उससे अभियुक्तगण का घटना में लिप्त होना तो प्रकट होता है, परंतु यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा स्पष्ट रूप से स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करने के आशय से ही धक्का दिया गया या हाथापाई की गई अथवा नहीं।
- 12. अभियोजन की ओर से पूछे जाने पर हरनारायण अ0सा0—01 ने परिवाद प्र0पी0—01 के संबंध में यह बताया है कि परिवाद पर वकील साहब ने हस्ताक्षर करने को कहा था, तब हस्ताक्षर कर दिए थे। यद्यपि हरनारायण अ0सा0—01 ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड को घटना के संबंध में लिखित रिपोर्ट भेजी जाना तथा उसकी कार्बन प्रति प्र0पी0—04 होना बताया है, यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजी गई उक्त रिपोर्ट की रसीद प्र0पी0—05 है। परंतु पुलिस को प्र0पी0703 का ए से ए भाग का कथन नहीं दिया जाना बताया है तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां हुए प्र0पी0—02 के कथन में ए से ए भाग वाली बात अपने पडोसी गोपाल के बताए अनुसार लिखाया जाना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से पूछे जाने पर पैरा—05 में यह स्वीकार किया है कि प्र0पी0—01 के परिवाद पर बिना पढे हस्ताक्षर कर दिए थे, यह भी स्वीकार किया है प्र0पी0—02 के न्यायालयीन कथन व प्र0पी0—04 को एस.पी. भिण्ड को दिए गए आवेदन पर बिना पढे हस्ताक्षर कर दिए थे, इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन का पूर्ण समर्थन नहीं किया है और अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित करने के तथ्य से इन्कार किया है।

- 13. अशोक अ०सा०-02, उमेश शर्मा अ०सा०-03 एवं परिमाल शर्मा अ०सा०-04 ने पुलिस कथन कमशः प्र०पी०-09, 11 एवं 13 के ए से ए भाग की बात पुलिस को नहीं बताना व्यक्त किया है। आर.बी. सिंह अ०सा०-06 ने यह बताया है कि अशोक शर्मा के द्व रा रिपोर्ट लिखाए जाने पर दिनांक 07.08.10 को प्र०पी०-06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, परंतु अशोक अ०सा०-02 ने बचाव पक्ष की ओर से पूछे जाने पर यह व्यक्त किया है कि प्र०पी०-06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई, उससे हस्ताक्षर करा लिए थे। के.डी. खेमरिया अ०सा०-08 ने यह बताया है कि दिनांक 07.08.2010 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र०पी०-07 बनाया था परंतु नक्शे मौके के साक्षी अशोक अ०सा०-02 ने यह बताया है कि प्र०पी०-07 पर उसके हस्ताक्षर बिना पढ़ाए कराए गए थे।
- 14. डॉ० संतोष सोनी अ०सा–०७ ने यह बताया है कि ०७७.०८.२०१० को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आरक्षक मौकम सिंह आहत हरनारायण को इलाज एंव चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके पास लेकर आया था, शाम ०७७:३० बजे उसका मेडीकल परीक्षण किया था, जिसमे आहत को निम्नलिखित चोटें पाई जाना बताया है:—

चोट क्रमांक—1:— एक कटा हुआ घाव सिर पर 05x01 से0मी0 आगे की तरफ चोट क्रमांक—2:— सिर पर 03x0.5 से0मी0।

चोट कमांक—3:— बायां हाथ टूटा हुआ जिसमें हड्डी बाहर निकली हुई थी, बांऐ हाथ के एक्सरे की सलाह दी गई थी।

चोट क्रमांक-4:- छाती में ओर पीछे मुंदी चोट। चोट क्रमांक-5:- बायीं एडी पर दर्द एवं मुंदी चोटी

- 15. डॉ० संतोष सोनी अ०सा०-०७ ने यह बताया है कि चोट क्रमांक ०१ व ०२ धारदार वस्तु से कारित की गई थी और चोट नंबर ०३ हाथ के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी तथा एक्सरे व उपचार के लिए माधव डिस्पेंसरी ग्वालियर रैफर किया गया था। चोट नंबर ०४ एवं ०५ साधारण प्रकृति की थीं, उक्त सभी चोटें छः घंटे के भीतर की थीं, उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र०पी०-15 है। उन्होंने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चोट क्रमांक ०१, ०२ व ०३, यदि कोई व्यक्ति पत्थर पर बल पूर्वक गिर जाए तो ऐसी चोटें आना संभव है। चोट क्रमांक ०४ व ०५ पर कोई दृष्टिगोचर चोट नहीं थी।
- 16. डॉ० आर.के.एस. धाकड अ०सा०-०५ ने यह बताया है कि दिनांक 03.08.2010 को आहत हरनारायण अस्थि रोग विभाग में भर्ती हुआ था, भर्ती के समय उसके बांए हाथ की

रेडियस एवं अलना हड्डी में फ्रेक्चर था, जिसका इलाज उचित बेहोशी की अवस्था में दोनों हड्डियों में प्लेट व नट लगाकर 30.08.2010 को किया गया था। 01.09.2010 को आहत को चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई थी। डिस्चार्ज टिकट प्र0पी0—14 होना बताया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत् को आई चोटें पत्थरों आदि पर गिरने से भी आ सकती हैं।

- 17. उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर उपरोक्तानुसार हरनारायण को चोटें आना एवं जया आरोग्य अस्पताल में दिनांक 03.08.2010 से 01.09.2010 तक भर्ती रहकर इलाज कराना एवं हरनारायण का बीस दिवस से अधिक की अविध तक अपने मामूली काम काज को करने के लिए असमर्थ रहना तो प्रमाणित है, परंतु उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रमुख अभियोजन साक्षियों ने और परिवादी ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है कि अभियुक्तगण को द्वारा कुल्हाडी से मारपीट करने से उक्त चोटें आई है तथा यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो गया है कि उक्त चोटें सामान्य आशय को अग्रसरित करने में करते हुए स्वेच्छ्या या जान बूझकर पहुंचाई गई हैं या धक्का मुक्की में गिरने से उक्त चोटें आई हैं। के.डी. खेमरिया अ०सा०–08 ने अभियुक्त राजाराम की घर की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा प्र०पी०–21 बनाया जाना तथा शेष अभियुक्तगण की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा प्र०पी०–22 बनाया जाना बताया है। प्र०पी०–21 एवं 22 के अनुसार अभियुक्तगण के आधिपत्य से कोई हथियर बंदूक, कट्टा, कुल्हाडी आदि जप्त नहीं हुए है। वे अभियुक्तगण के पास नहीं पाए गए हैं, ऐसी स्थिति में भी अभियुक्तगण के संबंध में अभियोजन घटना में युक्त युक्त संदेह उत्पन्न हो जाता है। अतः ऐसी स्थित में संदेह का लाभ अभियुक्तगण को ही दिया जाना प्रकट होता है।
- 18. विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बलवा करने, मां बहिन की अश्लील गालियां देने बंदूक से हवाई फायर कर मानव जीवन संकटापन्न करने एंव जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं आई है।
- 19. अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त हरिशंकर ने दिनांक 07.08.2010 के शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम भगवासा के हार सडक के किनारे अंतर्गत थाना गोहद में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव कर उक्त जमाव के फरियादी हरनारायण शर्मा की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित करने के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, लोकस्थान पर हरनारायण को मां बहिन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया एवं हरनारायण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक

अभित्रास कारित किया तथा सभी अभियुक्तगण ने बंदूक से हवाई फायर कर हरनारायण एवं अन्य का मानव जीवन संकटापन्न किया

20. अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 07.08.2010 के शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम भगवासा के हार सड़क के किनारे अंतर्गत थाना गोहद में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर उक्त जमाव के फरियादी हरनारायण शर्मा की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित करने के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में आकामक अथवा धारदार हथियार कुल्हाडी से फरियादी हरनारायण को स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की, हरिशंकर ने हरनारायण की लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की एवं हरनारायण की मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की।

विचारणीय प्रश्न कमांक 05 :--

- 21. फलस्वरूप अभियुक्त हरिशंकर को भा0दं०सं० की धारा—147, 294, 336, 326/149, 325/149, 323/149 एवं 506 भाग—2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से एव शेष अभियुक्तगण को भा0दं०सं० की धारा— 326 सहपठित 149 एवं 336 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उनके जमानत मुचलके उन्मोचित कए जाते है। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ भी नहीं है।
- 22. अभियुक्त हरिशंकर शर्मा को दिनांक 12.01.17 को गिरफ्तार किया गया है और उसे इसी न्यायालय के जमानत आदेश दिनांक 17.01.17 के पालन में उसी दिनांक को रिहा किया गया है। इस प्रकार वह 06 दिवस निरोध में रहा है। उसके द्वारा निरोध में गुजारी गई अविध के संबंध में धारा—428 दं0प्र0सं० का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे। शेष अभियुक्तगण प्रकरण में जमानत पर रहे हैं। उनके भी धारा—428 दं0प्र0सं० के प्रमाणपत्र संलग्न किए जाएं।
- 23. धारा—365 दं0प्र0सं0 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

ALINATA PAROTO PAROTO STATE AND STATE OF STATE O